

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

न्यायालय श्रीमाधोपुर (सीकर)

26-8-24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक-28-7-24 को पेश हो।

31-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक-26-9-24 को पेश हो।

26-09-24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक-24-10-2024 को पेश हो।

24.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4, 8 लगायत 10 व 15 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय कोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पेश होने जवाब कोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 04.11.2024 को पेश हो।

Integres
[Signature]
24/10/24
[Signature]

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



04.11.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर

5/11/21

बनारस सी.बी.एन

नम्बर व
अहकाम
हुक्म व
में ज

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

01/11/21 27/11/21 निवेदन अ.नं. - 6/21

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्धा कर खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र में निवेदन किया। वही वकील अप्रार्थीगण ने उभय पक्षकारान् द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिये जाने से क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्धा किये जाने का प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है। उक्त प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों पर एक दूसरे अधिवक्तागणों के द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विद्धा किये जाने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनापत्ति के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्धा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)